फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

जानकी देवी / बनाम रा. सरकार

केस संख्या : 22/2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	9-4-2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित। बहस हेतु दिनांक 25-4-25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	25-4-25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30-4-25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	30-4-2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप.। साबिक आदेशानुसार दिनांक 12-5-2025 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	12-5-2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप.। पूर्वानुसार दिनांक 16-5-25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	16-5-25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप.। समयाभाव के कारण आदेश जारी नहीं किये जा सके। अतः वास्ते आदेश दिनांक 23-5-25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	23-5-2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप.। वाद वादी डिक्री किया जाता है तदनुसार वादी को वादी ग्राम पीलत पुरा तहसील रामपुरा-डाबी जयपुर के ख.न. 546/818 रकबा 1.2500 हैक्टेयर में खातेदार काश्तकार, [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

जानकीलाल बनाम गणेश

संख्या :22/2005 (51717)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी-1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी में किसी प्रकार की दखलनंदाजी एवं उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 22/2025
वउनवानी – जानकी देवी बनाम संयुक्त कृषि समिति वगै0
निर्णय दिनांक :– 23.05.2025

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –22/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक –28.02.2025

1. जानकी देवी धर्मपत्नी स्व. श्री रामनारायण चौधरी, जाति धोबी, निवासी ग्राम पंचायत खोराबीसल, पंचायत समिति आमेर, जिला जयपुर।
2. भंवर सिंह पुत्र स्व. रामनारायण धोबी
3. सांवर सिंह पुत्र स्व. श्री रामनारायण
4. संतोष देवी पुत्री स्व. श्री रामनारायण
5. लक्ष्मी देवी पुत्री स्व. श्री रामनारायण

समस्त जाति धोबी, समस्त निवासीयान् ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——— वादीगण

बनाम

1. संयुक्त कृषि सहकारी समिति लिमिटेड खोराबीसल, जरिये अध्यक्ष श्री मुनीर खां, निवासी प्लॉट नंबर 2, मक्का कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक, आमेर, जिला जयपुर।

——— प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री भूपेन्द्र भारद्वाज – अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री संजय शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक 23.05.2025**

वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने उक्त उनवानी वाद बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है, जिसमें वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एवं ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर के स्थाई निवासी है। प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि. खोराबीसल राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु पंजीकृत कृषि सहकारी समिति है, जो छोटे छोटे किसानों की जमीनों को एकत्रित करके संगठित रूप से कृषि कार्य करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ताकि छोटे किसानों को कृषि कार्य से फायदा हो सकें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

वादीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 546/819 रकबा 1.2500 हैक्टेयर ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में रामनारायण पुत्र गुल्या की खातेदारी भूमि थी तथा रामनारायण का स्वर्गवास दिनांक 11.06.2007 को हो जाने के कारण वादीगण उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार व काबिज है। ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा में खसरा नंबर 173 रकबा 142 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि को संयुक्त रूप से कृषि कार्य करने हेतु संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि. खोराबीसल प्रतिवादी संख्या 1 में निहित की गई थी तथा जिसका नामान्तरण समिति के नाम दिनांक 02.09.1963 को खोला गया। खसरा नंबर 173 में वादीगण के हिस्से की 5 बीघा जमीन को कृषि कार्य हेतु सम्मिलित किया गया था। हाल बंदोबस्त से नवीन खसरा नंबर दर्ज होने के पश्चात् स्वर्गीय रामनारायण के खाते में खसरा नंबर 546/818 रकबा 1.2500 हैक्टेयर दर्ज की गई तथा खसरा नंबर 546/818 पर ही वादीगण काबिज काश्त है व कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि0 अपने वैधानिक उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 समिति का विघटन हो गया तथा समिति पर अवसायल नियुक्त हो गया तथा अवसायल के निर्देशानुसार सभी कृषक अपने अपने हिस्से की आराजी पर कृषि कार्य करने लग गये तथा अपने हिस्से की आराजी के अनुसार खातेदारी दर्ज हो गई। तत्पश्चात् सोसायटी के कृछ पदाधिकारियों ने मिलीभगत करके वादीगण के खाते की कृषि भूमि खसरा नंबर 546/818 का नामान्तरण पुनः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत करवा लिया, जबकि समिति का यानि प्रतिवादी संख्या 1 का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है तथा समिति में निहित संपूर्ण कृषि भूमि पर [illegible] अपने हिस्से की आराजी के अनुसार काबिज काश्त [illegible] कृषि [illegible] कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 का अध्यक्ष मुनीर खां, जो वादी[illegible] की खातेदारी भूमि को हडप करने के उद्देश्य से संयुक्त कृषि सहकारी समिति की आ[illegible] में आये दिन अडचन पैदा करता रहता है और वादीगण की खातेदारी भूमि को नाजायज रूप से राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज करवाता रहता है, जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदावा का अवसर बंद किया गया।

जवाब दावा बंद होने के कारण तनकीयात कायम नहीं किया जाकर साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली नियत की गई। वादी ने अपने मौखि साक्ष्य में साक्ष्य शपथ पत्र भंवर लाल प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं किये जिसकारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

वादी की ओर से वाद पत्र के साथ जमाबंदी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा, ग्राम पंचायत खोराबीसल दिनांक 20.11.2009, मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 06.08.2007, शपथ पत्र दिनांक 15.11.2009 की प्रति पेश की।

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त तथ्य में कथन किया कि वादीगण ने उक्त उनवानी वाद बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा किया है, जिसमें वादीगण अनुसूचित ज़ाति के व्यक्ति है एवं ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर के स्थाई निवासी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि. खोराबीसल राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु पंजीकृत कृषि सहकारी समिति है, जो छोटे छोटे किसानों की जमीनों को एकत्रित करके संगठित रूप से कृषि कार्य करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ताकि छोटे किसानों को कृषि कार्य से फायदा हो सकें। वादीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 546/819 रकबा 1.2500 हैक्टेयर ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त [illegible] भूमि पूर्व में रामनारायण पुत्र गुल्या की खातेदारी भूमि थी तथा रामनारा[illegible] का स्वर्गवास दिनांक 11.06.2007 को हो जाने के [illegible] उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार व काबिज है। ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा में खसरा नंबर 173 रकबा 142 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि को संयुक्त रूप से कृषि कार्य करने हेतु संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि. खोराबीसल प्रतिवादी संख्या 1 में निहित की गई थी तथा जिसका नामान्तरण समिति के नाम दिनांक 02.09.1963 को

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

खोला गया। खसरा नंबर 173 में वादीगण के हिस्से की 5 वीघा जमीन को कृषि कार्य हेतु सम्मिलित किया गया था। हाल बंदोबस्त से नवीन खसरा नंबर दर्ज होने के पश्चात् स्वर्गीय रामनारायण के खाते में खसरा नंबर 546/818 रकबा 1.2500 हैक्टेयर दर्ज की गई तथा खसरा नंबर 546/818 पर ही वादीगण काविज काश्त है व कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि0 अपने वैधानिक उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 समिति का विघटन हो गया तथा समिति पर अवसायल नियुक्त हो गया तथा अवसायल के निर्देशानुसार सभी कृषक अपने अपने हिस्से की आराजी पर कृषि कार्य करने लग गये तथा अपने हिस्से की आराजी के अनुसार खातेदारी दर्ज हो गई। तत्पश्चात् सोसायटी के कृछ पदाधिकारियों ने मिलीभगत करके वादीगण के खाते की कृषि भूमि खसरा नंबर 546/818 का नामान्तरण पुनः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत करवा लिया, जबकि समिति का यानि प्रतिवादी संख्या 1 का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है तथा समिति में निहित संपूर्ण कृषि भूमि पर उसके सदस्य अपने हिस्से की आराजी के अनुसार काबिज काश्त है व कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 का अध्यक्ष मुनीर खां, जो वादीगण की खातेदारी भूमि को हडप करने के उद्देश्य से संयुक्त कृषि सहकारी समिति की आड में आये दिन अडचन पैदा करता रहता है और वादीगण की खातेदारी भूमि को नाजायज रूप से राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज करवाता रहता है, जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

प्रतिवादीगण के बहस एवं लिखित बहस पेश करने हेतू मना करने पर उनका बहस/लिखित बहस का अवसर बंद किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं की है। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2062–65 ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र छायाप्रति, रामनारायण साखला का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र से जाहिर है कि उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के पूर्वजो के नाम रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 समिति का विघटन होने पर वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2054–2055 के नाम दर्ज अंकित हुआ है। जिसका खण्डन प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार से

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

खोला गया। खसरा नंबर 173 में वादीगण के हिस्से की 5 बीघा जमीन को कृषि कार्य हेतु सम्मिलित किया गया था। हाल बंदोबस्त से नवीन खसरा नंबर दर्ज होने के पश्चात् स्वर्गीय रामनारायण के खाते में खसरा नंबर 546 / 818 रकबा 1.2500 हैक्टेयर दर्ज की गई तथा खसरा नंबर 546 / 818 पर ही वादीगण काबिज काश्त है व कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि0 अपने वैधानिक उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 समिति का विघटन हो गया तथा समिति पर अवसायल नियुक्त हो गया तथा अवसायल के निर्देशानुसार सभी कृषक अपने अपने हिस्से की आराजी पर कृषि कार्य करने लग गये तथा अपने हिस्से की आराजी के अनुसार खातेदारी दर्ज हो गई। तत्पश्चात् सोसायटी के कृछ पदाधिकारियों ने मिलीभगत करके वादीगण के खाते की कृषि भूमि खसरा नंबर 546 / 818 का नामान्तरण पुनः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत करवा लिया, जबकि समिति का यानि प्रतिवादी संख्या 1 का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है तथा समिति में निहित संपूर्ण कृषि भूमि पर उसके सदस्य अपने हिस्से की आराजी के अनुसार काबिज काश्त है व कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 का अध्यक्ष मुनीर खां, जो वादीगण की खातेदारी भूमि को हडप करने के उद्देश्य से संयुक्त कृषि सहकारी समिति की आड में आये दिन अडचन पैदा करता रहता है और वादीगण की खातेदारी भूमि को नाजायज रूप से राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज करवाता रहता है, जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

प्रतिवादीगण के बहस एवं लिखित बहस पेश करने हेतू मना करने पर उनका बहस / लिखित बहस का अवसर बंद किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं की है। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2062—65 ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा, ग्राम पंचायत का प्र[illegible] पत्र छायाप्रति, रामनारायण साखला का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र से जाहिर है कि उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के पूर्वजो के नाम रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 समिति का विघटन होने पर वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2054—2055 के नाम दर्ज अंकित हुआ है। जिसका खण्डन प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

नहीं किया है। प्रस्तुत दस्तावेजात से कब्जे की अवधारणा भी वादीगण के पक्ष बखूबी साबित है। प्रतिवादीगण ने वादप्रत्र के खण्डन में किसी प्रकार के कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं अभिवचन नहीं किये है। अतः जब समिति का विघटन/समापन हो गया है तो उक्त आराजी वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वादपत्र स्वीकार कर वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा पटवार हल्का नांगल सिरस भू अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर के खसरा नंबर 546/818 रकबा 1.2500 हैक्टेयर में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी में किसी उपयोग–उपभागे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। तदनुसार डिक्री जारी की जाये। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को इस बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 22/2025
बउनयानी – जानकी देवी बनाम संयुक्त कृषि समिति वगै0
निर्णय दिनांक :– 23.05.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या –22/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक –28.02.2025

1. जानकी देवी धर्मपत्नी स्व. श्री रामनारायण चौधरी, जाति धोबी, निवासी ग्राम पंचायत खोराबीसल, पंचायत समिति आमेर, जिला जयपुर।
2. भंवर सिंह पुत्र स्व. रामनारायण धोबी
3. सांवर सिंह पुत्र स्व. श्री रामनारायण
4. संतोष देवी पुत्री स्व. श्री रामनारायण
5. लक्ष्मी देवी पुत्री स्व. श्री रामनारायण

समस्त जाति धोबी, समस्त निवासीयान् ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——– वादीगण

बनाम

1. संयुक्त कृषि सहकारी समिति लिमिटेड खोराबीसल, जरिये अध्यक्ष श्री मुनीर खां, निवासी प्लॉट नंबर 2, मक्का कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक, आमेर, जिला जयपुर।

——– प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र वादीगण के पक्ष में साबित होने पर वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर के खसरा नंबर 546/818 रकबा 1.2500 हैक्टेयर में वादीगण को खातेदार काश्तकारघोषित किया जाता है। प्रतिवादी 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी में किसी उपयोग–उपभागे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। तदनुसार डिक्री जारी की जाये। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को अमल बाबत तहरीर जारी हो। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 23.05.2025 को जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत——

ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 22 / 2025
वउनवानी – जानकी देवी वनाम संयुक्त कृषि समिति वगै0
निर्णय दिनांक :– 23.05.2025

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:21 IST
Reason: SelfAttested